

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(36) ग्रावि/गुप-5/जीकेएन/बीएसआर/प्रगति/2018-19 जयपुर, दि. 13 जून, 2018

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष,
जिला दर निर्णायक समिति,
जिला परिषद अलवर, बाडमेर, भीलवाडा,
चित्तोडगढ, चूरू, डूंगरपुर, जालौर,
जोधपुर, स0 माधोपुर, टोंक एवं उदयपुर।

विषय :- जीएसटी के परिपेक्ष्य में वर्ष 2018-19 के लिए पंचायत समिति दर अनुसूची (बीएसआर) लागू करने के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्र दि. 07.11.2017, दि. 05.03.2018, दि. 30.04.2018 एवं दि. 11.05.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के बिन्दु संख्या 8 एवं जीएसटी के परिपेक्ष्य में वर्ष 2018-19 के लिए श्रम, सामग्री एवं उपकरणों की बेसिक दरों का निर्धारण करने एवं दर अनुसूची (बीएसआर) तैयार करने व पंचायत समितिवार बीएसआर दिनांक 01.04.2018 से लागू/प्रभावी करने हेतु प्रासंगिक पत्र द्वारा निर्देशित किया गया था।

सॉफ्टवेयर से बीएसआर सृजन की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि दिनांक (11.06.2018) तक मात्र 26 जिले द्वारा 207 पंचायत समितियों की बीएसआर अनुमोदित कर प्रभावी की है। इनमें से 4 जिले यथा अलवर (13/14), भीलवाडा, (11/12), चित्तोडगढ (8/11) एवं सवाई माधोपुर (4/6) द्वारा आंशिक पंचायत समितियों की ही बीएसआर सॉफ्टवेयर पर प्रभावी की है, शेष पंचायत समितियों की बीएसआर सॉफ्टवेयर पर प्रभावी करना शेष है। 5 जिले यथा जिला यथा डूंगरपुर (2/10), जालौर (8/6), जोधपुर (16/16), टोंक (2/6) एवं उदयपुर (6/17) द्वारा पूर्ण/आंशिक पंचायत समितियों की बीएसआर प्रस्तावित की गई है, परन्तु जिला स्तर से अनुमोदन होना अभी शेष है। **शेष 2 जिले यथा बाडमेर एवं चूरू द्वारा अभी तक पंचायत समिति स्तर से बीएसआर प्रस्तावित ही नहीं की है, जो कि खेदजनक है।**

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिला दर निर्णायक समिति के स्तर पर समुचित समीक्षा उपरान्त पंचायत समितिवार दर अनुसूची (बीएसआर) के अनुमोदन आदि की कार्यवाही अतिशीघ्र पूर्ण कर प्रभावी कर निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री उपापन की समयबद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावे।

(कुंजी लाल मीणा)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंरावि।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अलवर, बाडमेर, भीलवाडा, चित्तोडगढ, चूरू, डूंगरपुर, जालौर, जोधपुर, स0 माधोपुर, टोंक एवं उदयपुर।
5. अधिशाषी अभियन्ता (अभि.) एवं सदस्य सचिव, जिला दर निर्णायक समिति, जिला परिषद अलवर, बाडमेर, भीलवाडा, चित्तोडगढ, चूरू, डूंगरपुर, जालौर, जोधपुर, स0 माधोपुर, टोंक एवं उदयपुर।
6. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता/ग्रावि

**BSR Approval Status as on
11/06/2018 for FY : 2018-2019**

क्र. सं.	जिले का नाम	पंचायत समितियों की संख्या	बी.एस.आर. Propose कर चुकी पंचायत समितियों की संख्या	बी.एस.आर. प्रभावी कर चुकी पंचायत समितियों की संख्या	एक से अधिक बार बी.एस.आर. प्रभावी करने वाली पंचायत समितियों की संख्या	Remarks	प.स. की संख्या, जिनकी बी.एस.आर. Propose करना शेष है।	प.स. की संख्या जिनकी, बी.एस.आर. प्रभावी करना शेष है।
1	2	3	5	6	7		9	10
1	अजमेर	9		9 ✓				
2	अलवर	14		13	1	24.05.2018	1	1
3	बासवाड़ा	11		11 ✓				
4	बारां	7		4		28.03.2018, effective 06.11.2017	7	7
5	वाड़मेर	17				11.06.2018	17	17
6	भरतपुर	10		10 ✓	1			
7	भीलवाड़ा	12		11	1		1	1
8	डीकानेर	7		7 ✓				
9	बुन्दी	5		5 ✓				
10	चित्तौड़गढ़	11	3	8				3
11	चुरू	7				17.05.2018	7	7
12	दोसा	6		6 ✓	4			
13	धौलपुर	5		5 ✓	5			
14	इंजरपुर	10	2			27.05.2018	8	10
15	गंगानगर	9		9 ✓				
16	हनुमानगढ़	7		7 ✓				
17	जयपुर	15		15 ✓				
18	जैसलमेर	3		3 ✓				
19	जालोर	8	8			17.05.2018		8
20	झालावाड़	8		8 ✓				
21	झुंझुनू	8		8 ✓				
22	जोधपुर	16	16					16
23	करौली	6		6 ✓				
24	कोटा	5		5 ✓		16.05.2018		
25	नागौर	14		14		28.03.2018, effective 28.07.2018	14	14
26	पाली	10		10 ✓				
27	प्रतापगढ़	5		5 ✓				
28	राजसमन्द	7		7 ✓				
29	सवाई	6	2	4 ✗	1			2
30	सीकर	9		9 ✓		10.05.2018		
31	सिरोही	5		5 ✓				
32	टोंक	6	2				4	6
33	उदयपुर	17	6			04.05.2018	11	17
	Total	295	39	186	13		70	109

21
2017